



सर्वे संतु निरामयाः

## कार्यालय अधिष्ठाता

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, छत्तीसगढ़ शासन, बिलासपुर (छ.ग.) 495001

FAX (O) - 07752-224200, PHONE (O) - 07752-230030, 222302  
Website : www.cimsbilaspur.ac.in, email- [deancims@gmail.com](mailto:deancims@gmail.com)

क्रमांक./11640/अधि./सिम्स/बिलासपुर/16


दिनांक ..04/10/16

### :: संशोधित आदेश ::

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स), बिलासपुर में संशोधन आदेश क्र/3370/अधि./सिम्स/बिलासपुर/16 दिनांक 26.02.2016 व क्र./4637/अधि/सिम्स/बिलासपुर/16 दिनांक 07.04.2016 द्वारा गठित "महिला यौन उत्पीड़न निवारण आंतरिक समिति" में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार समिति सदस्य सम्मिलित किया जाता है : -

1. डॉ. (श्रीमती) यारस्मिन खान, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, मेडिसीन विभाग : अध्यक्ष,
2. डॉ. (श्रीमती) हेमलता ठाकुर, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, पी.एस.एम.विभाग : सदस्य,
3. डॉ. (श्रीमती) आरती पाण्डेय, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, ई.एन.टी. विभाग : सदस्य,
4. डॉ. राहूल वर्मा, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, नेत्ररोग विभाग : सदस्य,
5. डॉ. (श्रीमती) शिक्षा जांगडे, सहायक प्राध्यापक, एनाटॉमी विभाग : सदस्य,
6. डॉ. (श्रीमती) सत्यभामा अवस्थी, वसुधा महिला मंच,  
नेहरू नगर, बिलासपुर, छ.ग. : मनोनित सदस्य


उपरोक्तानुसार समिति सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि वे छत्तीसगढ़ महिला आयोग तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी अनुसंशाओं एवं निर्देशानुसार संस्थान में महिला के विरुद्ध अशोभनीय व्यवहार पर परीक्षण व रोक हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

  
अधिष्ठाता

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान,  
बिलासपुर, छ.ग.  
दिनांक ...04/10/16

11641-47  
पृ. क्रमांक./ /अधि./सिम्स/बिलासपुर/16  
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ.ग.शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नयारायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संचालक चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. चिकित्सा अधीक्षक, सिम्स चिकित्सालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, सिम्स, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
5. समिति सदस्य .....की ओर पालनार्थ।
6. प्रशासकीय अधिकारी, सिम्स, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
7. आदेश/निजी नस्ती।

  
अधिष्ठाता 4/10/16

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान,  
बिलासपुर, छ.ग.